



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 04/03-04/2019, दिनांक 09.12.2019

राज्य सेवा परीक्षा 2019 / राज्य वन सेवा परीक्षा 2019 अधिकतम आयु सीमा एवं ऑनलाईन आवेदन अवधि में वृद्धि की सूचना

- 01 आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों की पूर्ति हेतु "राज्य सेवा परीक्षा- 2019" का विज्ञापन क्रमांक 03/2019, दिनांक 14.11.2019 तथा "राज्य वन सेवा परीक्षा- 2019" का विज्ञापन क्रमांक विज्ञापन क्रमांक 04/2019, दिनांक 14.11.2019 आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in, एवं www.mppsc.com पर जारी किया गया है तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 18.11.2019 के अंक में भी प्रकाशित किया गया है।
- 02 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक-एफ-6-5/2019/एक(1) दिनांक 09.12.2019 के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2019 में आयु संगणना की तिथि यथावत रखी जाकर अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट दिये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार -
- नवीन आयु-सीमा
 1. दिनांक 01.01.2020 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 41 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
 2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन / महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा 46 वर्ष रहेगी।
 3. ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
 4. उपरोक्त सभी छूटे 46 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यक्षीन रहेगी।
- 03 अतः उक्त अतिरिक्त छूट के परिपेक्ष्य में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 09.12.2019 से बढ़ाकर 12.12.2019 (रात्रि 12:00 बजे तक) तथा त्रुटि सुधार अवधि दिनांक 11.12.2019 से बढ़ाकर 13.12.2019 (रात्रि 12:00 बजे) तक की जाती है।
- 04 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

Renu Paul

सचिव